# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 80/2016

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. बाबु पुत्र चन्द्राराम<br>जाति–बावरी, निवासी–पिपलियाखुर्द,<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली | | 1. मोहन पुत्र चन्द्राराम<br>2. पांचू पुत्र कनीराम<br>3. हड़मान पुत्र सोनाराम<br>4. कल्याण पुत्र सोनाराम<br>5. बींजाराम पुत्र मलाराम<br>6. कौशल्या पुत्री मलाराम<br>7. ममता पत्नि मलाराम<br>8. गेन्दा पुत्री सोनाराम<br>9. चान्दू पुत्री सोनाराम<br>10. गोविन्दराम पुत्र गोकलराम<br>11. कमलादेवी पुत्री गोकलराम<br>12. लालाराम पुत्र गुलाबराम<br>13. नैमाराम पुत्र गुलाबराम<br>14. बगदाई पत्नि गुलाबराम<br>जातियान–बावरी,निवासी–पिपलियाखुर्द<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली<br>15. तहसीलदार, तहसील<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली |

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.25/04/2016

उपस्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण।

**–:: निर्णय ::–** दिनॉकः– 11/02/2017

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–पिपलिया खुर्द, पटवार मण्डल–पिपलिया खुर्द, तहसील–जैतारण में खाता संख्या 212 में खसरा नम्बर 467/32 रकबा 12–00 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक की दावा के साथ पेश की हैं, जो दावा का भाग माना जावें। यह भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मोहन के शामलाती खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि हैं। इसमें 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 मोहन का हैं तथा इस हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर काबिज हैं। इस भूमि में अन्य प्रतिवादीगण संख्या 2 से 14 का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं हैं तथा न ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 से 14 का नाम दर्ज हैं। इसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का शामलाती कुआ हैं। सरहद मौजा–पिपलिया खुर्द में कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 10–00 बीघा, खसरा नम्बर 388 रकबा 11–05 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 4–16 बीघा, कुल किता–3 कुल रकबा 26–01 बीघा की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की दावा के साथ पेश की हैं, जो दावा का भाग माना जावें। यह भूमि स्व. दोलाराम के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी, दौलाराम के पांच पुत्र क्रमशः कनीराम चन्द्राराम सोनाराम गोकलराम व घेवरराम हुए, जो पांचों ही फौत हो चुके हैं। कनीराम का पुत्र पांचू, चन्द्राराम के पुत्र मोहन व बाबु तथाा सोनाराम के पुत्र हड़मान, कल्याण व मल्लाराम हुए, मल्लाराम फौत हो चुका हैं तथा पुत्रियाँ गेन्दा व चांदू हैं, मलाराम के एक पुत्र बींजा पुत्री कौशल्या व पत्नि ममता हैं। गोकलराम फौत हो चुका हैं। गोकलराम का पुत्र गोविन्द व पुत्री श्यामादेवी व कमला हुई, जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

श्यामादेवी फौत हो चुकी हैं तथा गोकल की बेवा रमादेवी फौत हो चुकी हैं। घेवरराम फौत हैं, जिसका पुत्र गुलाब हैं, जो भी फौत हो चुका हैं, जिसके पुत्र नेमा व लाल हैं तथा गुलाब की पत्नि बगदाईदेवी हैं। खसरा नम्बर 150, 388 व 420 की कुल भूमि 26-01 बीघा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चन्द्रा का 1/5वां हिस्सा हैं तथा वादी का इस खसरा नम्बर की भूमि में 1/10वां हिस्सा हैं तथा इसी हिस्से मुजब वादी रेकॉर्डेड खातेदारी होकर काबिज हैं, दौलाराम के पांचो लड़कों का इस भूमि में प्रत्येक का 1/5वां हिस्सा यानि कनीराम का 1/5वां हिस्सा, चन्द्राराम का 1/5वां हिस्सा, सोनाराम का 1/5वां हिस्सा, गोकलराम का 1/5वां हिस्सा, घेवरराम का 1/5वां हिस्सा इस प्रकार कनीराम के वारिसान का समस्त भूमि में 1/5वां हिस्सा चन्द्राराम के वारिसान का समस्त भूमि में 1/5वां हिस्सा सोनाराम के वारिसान का 1/5वां हिस्सा, गोकलराम के वारिसान का 1/5वां हिस्सा, घेवरराम के वारिसान का 1/5वां हिस्सा हैं तथा इसी हिस्से अनुसार सभी मौके पर काबिज हैं तथा राजस्व रेकर्ड में यह भूमि शामलाती दर्ज हैं तथा मौके पर भी शामलाती रूप से काबिज हैं। उक्त वर्णित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने का प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो ईन्कार हो गया तथा उक्त वर्णित भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1/14 को कहा, तो सभी दिनांक 02/04/2016 को ईन्कार हो गये। जबकि शामलाती भूमि एवं लगान का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादी की ओर से पेश किया हैं। बंटवाड़ा के वाद में प्रवितादी संख्या 15 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए पक्षकार बनाए गये हैं। बिनायवाद दिनांक 02/04/2016 को ग्राम-पिपलियाखुर्द में प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने दावा में वर्णित भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने से ईन्कार करने पर बमुकाम-पिपलिया खुर्द में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पिपलिया खुर्द में पेश हुई। मजमा-ए-आम में पक्षकारों में समझाईश की गई। लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् राजीनामा पेश करने पर सहमत हो गए। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी आराजी का बंटवाडा चाहते हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रति0 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-पिपलिया खुर्द, पटवार मण्डल-पिपलिया खुर्द, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 212 में खसरा नम्बर 467/32 रकबा 12-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 150 रकबा 10-00 बीघा, खसरा नम्बर 388 रकबा 11-05 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 4-16 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 26-01 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/2106 दिनांक 21/11/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/9672 दिनांक 22/12/2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

**–:: आदेश ::–**

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पिपलिया खुर्द, पटवार मण्डल–पिपलिया खुर्द, तहसील–जैतारण में खाता संख्या 212 में खसरा नम्बर 467/32 रकबा 12–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 150 रकबा 10–00 बीघा, खसरा नम्बर 388 रकबा 11–05 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 4–16 बीघा, कुल किता–3 कुल रकबा 26–01 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा<br>बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाबु पुत्र चन्द्रा कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 467/38<br>150/2<br>388/1<br>420/1 | 6-00-00<br>1-00-00<br>1-02-00<br>0-10-00 | बा0दो0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0 | 1.86 रू.<br>0.62 रू.<br>0.68 रू.<br>0.31 रू. |
| | **योग** | **4** | **8-12-00** | – | **3.47 रू.** |
| 2 | मोहन पुत्र चन्द्र कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 467/32 | 6-00-00 | बा0दो0 | 1.86 रू. |
| 3 | पांचूराम पुत्र कनीराम, मोहन पुत्र चन्द्रा, हड़मान कल्याण पि0 सोना, बींजाराम कौशल्या पि0 मलाराम, ममता पत्नि मला, हड़मान कल्याण पि0 सोना, बींजाराम कौशल्या पि0 मलाराम, ममता पत्नि मला, गेन्दा चान्दूरतनी पुत्रियाँ सोना, गोविन्दराम पुत्र गोकल, गोविन्दराम श्यामादेवी कमलादेवी पि0 गोकलराम, लालाराम नेमाराम पि0 गुलाब, बगदादेवी पत्नि गुलाबराम, नेमाराम ना0बा0 की कुदरती वलिया बगदादेवी पत्नि गुलाबराम कौम–बावरी ब0हि0ब0 सा0 देह खातेदार।<br>रहन–पांचूराम पुत्र कनीराम का हि0 आरएमजीबी शाखा–बलाड़ा। | 150<br>388<br>420 | 9-00-00<br>10-03-00<br>4-06-00 | बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0 | 5.58 रू.<br>6.29 रू.<br>2.66 रू. |
| | **योग** | **3** | **23-09-00** | बा0अ0 | **14.53 रू.** |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)